संख्या-494/2025/39-4-2025/001-10-05-2010

प्रेषक,

राम नगीना मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः जुलाई, 2025**

विषय:- उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर, बरेली के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4-बी-53/1977(iii) दिनांक 20.03.2024 एवं पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4-बी-53/1977 दिनांक 16.04.2025 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर, बरेली के कार्यालय भवन व थाना निर्माण हेतु बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के रामगंगा नगर आवासीय योजना के अंतर्गत सेक्टर-10 सरयू इन्क्लेव में स्थित भू-खण्ड संख्या-4 क्षेत्रफल 1493 वर्गमीटर की भूमि के क्रय हेतु कुल लागत रुपये 7,72,65,233/- (रु0 सात करोड़ बहत्तर लाख पैसठ हजार दो सौ तैतीस मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-82 हेतु लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालय भवन का निर्माण के अन्तर्गत 0303-सतर्कता अधिष्ठान, बरेली के लिए मानक मद संख्या-60-भूमि क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 6,96,00,000/- (रु0 छः करोड़ छानवे लाख मात्र) को अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में भूखण्ड क्रय किये जाने हेतु आने वाले व्यय में निबन्धन हेतु देय स्टाम्प शुल्क सम्मिलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि शासकीय विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री होने पर उक्त स्टाम्प शुल्क पर शासन द्वारा छूट प्रदान करने की व्यवस्था है, अतएव उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा निबंधन हेतु देय स्टाम्प शुल्क पर कोई धनराशि व्यय न की जाय।

(2) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए अग्रतर कार्यवाही की जाएगी।

(3) समस्त वित्तीय नियमों, वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान उत्तरदायी होगा।

(4) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

(5) मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से उक्त धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(6) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे

(7) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, बरेली के डिपोजिट खाते में रखी जायेगी। निर्विवाद भूमि उपलब्ध होने पर ही वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(8) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि की जिलाधिकारी, बरेली के डिपोजिट खाते में रखे जाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तिम दिवस तक (31.03.2026) स्वीकृत धनराशि का उपयोग न होने पर धनराशि समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,96,00,000 (रुपये छह करोड़ छियानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 082 लेखा शीर्षक 4059010510303 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-142-X-2025-26-दिनांक:16-7-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-494(1)/2025/39-4-2025/001-10-05-2010,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज ।
(2) जिलाधिकारी, बरेली।
(3) कोषाधिकारी, बरेली।
(4) सम्बन्धित वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान।
(5) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान बरेली सेक्टर, बरेली।
(6) पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर, बरेली।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9) नोडल अधिकारी को शासनादेश अपलोड कराने हेतु।
(10) आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।